

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 06 जनवरी, 2020

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हेतु 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की के पत्र सं० 3427/बजट/2019-20 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-001 निर्देशन एवं प्रशासन, उपशीर्षक-03 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान मानक मद-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में प्रथम अनुपूरक मांग से प्राविधानित की गई धनराशि रू० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) को व्यय करने हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये हजार में)

क्रम सं०	लेखा शीर्षक/योजना/मद का नाम	कुल प्राविधानित बजट	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1	2058-लेखन सामग्री और मुद्रण-00-001-निर्देशन एवं प्रशासन, उपशीर्षक-03 राजकीय मुद्रणालय रूड़की अधिष्ठान			
	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	250	-	250
	योग	250	-	250

- (1) उक्त धनराशि आपके निवर्तन/व्यय करने पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
- (2) प्रश्नगत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि मद के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

- (3) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की जाँच कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - (4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर सं० एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - (5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
 - (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिये मांग की गई है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मदों में कदापि न किया जाये।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-001 निर्देशन एवं प्रशासन, उपशीर्षक-03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान मानक मद-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुसंगत इकाईयों के नामे डाले जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-859/XXVII(2)/2020, दिनांक 29.01.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 49 (1)/VII-A-2/2020/03 बजट/2016T.C.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक/अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, रुड़की।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

११.
(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।